

माननीय अध्यक्ष महोदय,

हमारी सरकार के कार्यकाल का यह अंतिम बजट है। विगत 4 वर्षों में हमने मानव संसाधन, सामाजिक, आर्थिक तथा अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में पर्याप्त पूंजीनिवेश किया है तथा अनेकों विकासोन्मुखी जनकल्याणकारी योजनायें लागू की हैं, जिनके दूरगामी परिणाम प्राप्त होंगे। अब हमारी रणनीति इन योजनाओं को निर्णायक मुकाम तक पहुँचाने की है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये हमने इस बजट का स्वरूप निर्धारित किया है।

2. हम ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के द्वितीय वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस योजना में "इनक्लुसिव ग्रोथ" को बुनियादी अवधारणा के रूप में अंगीकृत किया गया है। विगत वर्षों में हमने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में मुख्य धारा से वंचित रहे समूहों को इस प्रवाह से जोड़ने के लिये विशेष महत्व दिया है। इस बजट में यही हमारा मूल मंत्र भी है।

3. सितम्बर, 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा "मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स" के अंतर्गत निर्धारित गरीबी एवं भुखमरी मिटाने, सार्वभौमिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने, लड़कियों और महिलाओं के प्रति भेद-भाव समाप्त करने, शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, मातृ-स्वास्थ्य में सुधार, मलेरिया एवं एड्स जैसी बीमारियों से मुकाबला एवं शुद्ध पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य हमारे लिये सबसे बड़ी चुनौती है। इन्हें हमें 2015 तक प्राप्त करना है। यद्यपि इस दिशा में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी गरीबी घटाने तथा स्वास्थ्य संबंधी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये हमें निरन्तर सघन प्रयासों से लंबा फासला तय करना है। इस बजट में उपर्युक्त लक्ष्यों के प्रति विशेष ध्यान दिया गया है।

4. विकास के लिये वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनिवार्य है एवं इसके लिये हमने बेहतर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित किया है। अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह सूचित करते हुये अत्यंत हर्ष है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में **jkT;ka ds ctV ds l eh{k ifronu ea fofhké forrh; eki nMka ds eW;ka du ds vk/kkj ij NRrhl x<+ dks forrh; izaku ea nsk ds l oU\$B 4 jkT;ka dh Jskh ea j [kk x;k gS** इस श्रेणी में तीन अन्य राज्य हैं, तमिलनाडू, कर्नाटक एवं हरियाणा।

vkfFkd fLFkr

5. अध्यक्ष महोदय, अब मैं राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालना चाहूँगा। वर्ष 2006-07 के लिये **fLFkj Hkkoka** (1999-2000) पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का आंकलन 44,429 करोड़ है, जो कि वर्ष 2005-06 के 40,707 करोड़ की तुलना में 9.14 प्रतिशत अधिक है। प्राथमिक क्षेत्र में यह वृद्धि 6.32, द्वितीयक क्षेत्र में 10.16 तथा सेवा क्षेत्र में 10.93 प्रतिशत रही। इस अवधि में देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि 9.6 प्रतिशत रही।

5.1 इसी अवधि में **ipfyr Hkkoka** पर छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 59,321 करोड़ रुपए है, जो कि वर्ष 2005-06 के 50,741 करोड़ की तुलना में 8,880 करोड़ अधिक है। विगत वर्षों की तुलना में प्रदेश की यह वृद्धि अधिक होने का मुख्य कारण अच्छी वर्षा से कृषि उत्पादन एवं मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में उल्लेखनीय वृद्धि होना है।

5.2 वर्ष 2006-07 में प्रति व्यक्ति आय 22,605 रुपये है, जो कि वर्ष 2005-06 की प्रति व्यक्ति आय 19,557 रुपए की तुलना में 15.59 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 29,642 रुपये रही है।

5.3 दसवीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2007 को पूर्ण हो चुकी है। इस योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के निर्धारित लक्ष्य 6.10 प्रतिशत के विरुद्ध हमारी औसत उपलब्धि 8.68 प्रतिशत रही। कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित 3 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य के विरुद्ध औसत उपलब्धि 6.26, उद्योग के क्षेत्र में 7.5 प्रतिशत के विरुद्ध 14.70 एवं सेवा क्षेत्र में 7 प्रतिशत लक्ष्य के विरुद्ध 7.78 प्रतिशत रही है। इस प्रकार दसवीं पंचवर्षीय योजना में सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार की उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य से अधिक रही।

[kk] | I g {kk

6. अत्यावश्यक खाद्य सामग्रियों की दरों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि समग्र विश्व में चिंता का विषय बनी हुई है एवं इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब वर्गों पर पड़ता है। जनवरी, 2008 में डावोस में सम्पन्न "वर्ल्ड इकोनामिक फोरम" की शिखर बैठक में यह चर्चा का विषय बना रहा एवं विश्व बैंक के अध्यक्ष द्वारा विकासशील राष्ट्रों में गरीब परिवारों को इस समस्या से जूझने के लिये "नगद अनुदान" देने का सुझाव दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में माननीय सदस्यों का ध्यान भारत सरकार के "राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण" 2006 (NFHS III) के कुपोषण संबंधी कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। इस अद्यतन सर्वे के अनुसार **jk'Vh; Lrj ij 46 ifr'kr cPps rFkk 40 ifr'kr o;Ld djk'k.k ds f'kdj g& rFkk 60 ifr'kr xHkbrh efgyk; a ,oa 80 ifr'kr cPps ,ufe;k l s xLr g& tcf d 'kkl dh; vkdMka ds eqkfc d Hkkjr o"z ea ch-ih,y- ifjokjka dh l d; k 28 ifr'kr gS** कुपोषण की इस स्थिति का सीधा संबंध खाद्य सुरक्षा नीति से है। आंकड़ों के मुताबिक भारत वर्ष में प्रति व्यक्ति, प्रति दिन खाद्यान्न की उपलब्धता 1966 में 420 ग्राम थी एवं 1990 में 500 ग्राम तथा 2006 में 440 ग्राम थी। इस स्थिति में **l oki/kd fxjkoV 1997 ds i'pkr- ifjyf{kr gbl gS D;kid ml h o"z Hkkjr ljdkj }kjk l kozfud forj.k izkkyh ea**

I l kksku dj I Hkh oxk ds LFkku ij dny ch-i-h, y- ifjokjka dks gh
fj; k; rh nj ij [kk|ké mi yC/k djkus dk fu.kz fy; k x; k Fkk।

6.1 उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये हमारी सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है एवं इसी उद्देश्य से हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त बनाने के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन को याद होगा कि वर्ष 2004 में हमारी सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन में निजी व्यक्तियों की भागीदारी समाप्त करने एवं “खाद्य सुरक्षा कोष” स्थापना जैसे नये कीर्तिमान स्थापित किये थे। वर्ष 2007 में सभी अनुसूचित जाति/जनजाति बी.पी.एल. परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के अनुरूप 3 रुपये प्रति किलो चावल वितरण हेतु “मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना” प्रारम्भ की गई है। इसी योजना का विस्तार करते हुये 1 जनवरी, 2008 से **i nsk ds yxHkx 34 yk[k ifjokjka dks 3 #i; s ifr fdyks dh fj; k; rh nj ij pkoy mi yC/k dj k jgs gA bl ;kstuk grq ctV ea 771 djkm+ dk i to/kku fd; k x; k gS** मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूँगा कि इसमें से एक बड़ा हिस्सा भारत सरकार द्वारा प्रदेश के एपी.एल. चावल कोटा में अप्रत्याशित कटौती के कारण है। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूँगा कि यह केवल खाद्य सुरक्षा योजना ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलु भी इसके साथ जुड़े हैं।

6.2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी तथा सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उचित मूल्य दुकानवार सम्पूर्ण जानकारी को कम्प्यूटरीकृत की जाकर आम नागरिकों के लिये वेब साईट के जरिये उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ-साथ राशन सामग्री के वितरण की निगरानी में जनभागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कॉल सेंटर एवं जनभागीदारी वेब साईट प्रारम्भ की गई है।

f'k{kk

7. यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भी देश का आर्थिक विकास, मानव संसाधन विकास पर आधारित होता है। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाओं में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप शिक्षकों की पूर्ति हेतु विगत 4 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा 55 हजार शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति की गई है। इसी प्रकार भवनविहीन शालाओं की समस्या के निदान हेतु विगत वर्षों में 7,363 प्राथमिक, 6,593 पूर्व माध्यमिक, 161 हाई स्कूल तथा 111 हायर सेकेंडरी शाला भवनों का निर्माण किया गया है। इस बजट में 380 प्राथमिक, 223 माध्यमिक, 120 हाई स्कूल तथा 60 उच्चतर माध्यमिक शालाओं के भवन निर्माण हेतु 58 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

ea 312 i 10Z ek;/fed Ldnyka dks gkbZ Ldny ea ,oa 218 gkbZ Ldnyka dks gk; j l dMjh Ldny ea mé; u grq 45 djM+ dk i ko/kku fd; k x; k gS

7.1 आठवीं कक्षा के पश्चात् बच्चों की शाला त्याग दर को ध्यान में रखते हुये वर्ष 2008&09

7.2 इसके अतिरिक्त 350 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में वाणिज्य संकाय प्रारम्भ किया जाएगा। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में विज्ञान सामग्री एवं प्रयोग शाला उपकरणों हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

7.3 प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से संस्कृत शालाओं के छात्रों को निःशुल्क सायकल, गणवेश एवं पुस्तक प्रदान करने हेतु 75 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

7.4 शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक ढांचा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से रायपुर जिले के बलौदा बाजार को नया शिक्षा जिला बनाया जाएगा।

7.5 वर्ष 2008-09 में प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के जनकपुर, तमनार, विश्रामपुर, बलरामपुर एवं भानपुरी तथा बेरला, बलौदा एवं हसौद में नवीन शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना हेतु 4.20 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 4 महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर का दर्जा दिया जाएगा।

7.6 राज्य में रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा विगत 4 वर्षों में 30 नवीन आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्निक प्रारम्भ किया गया है। इसी क्रम में वर्ष 2008-09 में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिला बस्तर के विश्रामपुरी में नवीन आई.टी.आई. एवम् **ikW/hVfDud foghu ftys nrøkMk] chtkiġ] dkødj] ukjk; .kiġ] t'kiġ ,oa dksj;k ea uohu ikW/hVfDud rFkk fcykl iġ ea du;k ikW/hVfDud LFkkiuk grq 28 djkm+ dk iko/kku fd;k x;k gA bl l s i nsk ds iR; d ftys ea vkbZVh-vkbZ rFkk ikW/hVfDud dh LFkkiuk gks tk; xh।** इसके अतिरिक्त 8 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" के रूप में उन्नयन हेतु नवीन व्यवसाय प्रारम्भ किया जाएगा।

LokLF;

8. मानव संसाधन विकास में शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक का विशेष महत्व है। विगत 4 वर्षों में हमने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2001 की तुलना में छत्तीसगढ़ की शिशु मृत्यु दर में 12 प्रतिशत की कमी हुई है। इसी प्रकार बच्चों में कुपोषण की दर में 2002 की तुलना में 2006 में 9 प्रतिशत की कमी हुई है।

लेकिन अभी भी हम "मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स" से काफी दूर हैं, जिसे प्राप्त करने के लिये हमें स्वास्थ्य-सुविधाओं संबंधी गहरी खाइयों को पाटना होगा।

8.1 हमारी सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुविधा की कमी को दूर करने के लिये लगातार प्रयास किया गया है एवं राष्ट्रीय मापदंड के अनुरूप उपस्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला चिकित्सालय की स्थापना की जा चुकी है। लेकिन प्रदेश की विशिष्ट भौगोलिक संरचना को देखते हुये इस बजट में 30 नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र, 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं नवीन जिले नारायणपुर एवं बीजापुर में जिला चिकित्सालय स्थापना हेतु बजट में 9 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

8.2 स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ी हुई अधोसंरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से o"z 2008&09 ea 100 i kfkfed LokLF; dlnz Hkou rFk 22 l kepkf; d LokLF; dlnz Hkoua dk fuekzk fd;k tk, xk] ftl ds fy; s 20 djkm+ dk ctV iko/kku fd;k x;k gA l nu dks ;g tkudj l rfv gkxh fd bl ds QyLo: i in'k ds l kepkf; d dlnz Hkoua dh 'kri fr'kr rFk i kfkfed LokLF; dlnz Hkoua dh 80 i fr'kr dh i fr'z gks tk, xh।

8.3 प्रदेश में नर्सिंग सेवा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कांकेर, कोरिया एवं महासमुंद में नर्सिंग स्कूल तथा जगदलपुर एवं बिलासपुर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु 6.43 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

8.4 प्रदेश में आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा के साथ-साथ हमने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार एवं सुदृढीकरण पर भी विशेष जोर दिया है। इसी दिशा में वर्ष 2006-07 में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र जगदलपुर में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारम्भ किया गया था। o"z 2008&09 ea jk; x<+ ea uohu fpdfRI k egkfo |ky; dh LFKki uk grq 18-15 djkm+ dk ctV iko/kku

fd; k x; k gS। इसके साथ-साथ चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर के विस्तार एवं नवीन उपकरण तथा स्कूल ऑफ फिजियोथेरापी एवं ट्रॉमा सेंटर स्थापना हेतु 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

8.5 प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधा के विस्तार हेतु प्रायोगिक तौर पर 25 xteka ea **vk; ph xte ; kstuk** ykxwdh tk, xh।

vuq fpr tkfr@tutkfr dY; k.k

9. in'sk dh fo'k'sk fiNMh tutkfr; ka ds fy; s vkokl mi yC/k djkusgrqbl ctV ea 15 djkM+ dk iko/kku fd; k x; k gS।

9.1 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में आश्रम शालाओं की उपयोगिता को देखते हुये वर्ष 2008-09 में 210 नवीन छात्रावास तथा 110 आश्रम शालायें खोलने एवं वर्तमान में संचालित छात्रावास तथा आश्रम शालाओं में 4,654 सीटों की वृद्धि की जाएगी, जिसके लिये 21.24 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त 115 छात्रावास तथा 20 आश्रम भवनों के निर्माण के लिये 55 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

9.2 c<rh gpZ egxkbZ dks n[krs gq s Nk=kokl , oa vkJe 'krykvka ds Nk=&Nk=kvka dh f'k'; ofRr dh ipfyr nj 350 #i; s ifrekg dks c<kdj 450 #i; s ifrekg dh tk, xh , oa bl ckcr~ 11-84 djkM+ dk ctV iko/kku fd; k x; k gS।

9.3 प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों के लिये जशपुर, गरियाबंद एवं कवर्धा में आश्रम शालायें प्रारम्भ करने हेतु 15.24 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति/जनजाति के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 हजार युवाओं को निःशुल्क वाहन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

9.4 परम्परागत रूप से चर्मशिल्प व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिये ****jfonkl pef'kYi ;kstuk**** प्रारम्भ की जाएगी।

9.5 रायपुर जिले के पलारी विकासखंड स्थित तेलासीबाड़ा को “गुरुजी के स्थल” के रूप में विकसित किया जाएगा।

is ty

10. वर्ष 2007-08 के बजट में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शामिल किया गया था, जिसके अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में 5 हजार बसाहटों में शुद्ध पेय जल आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया था। **o"l 2008&09 ea 'k'k 1 g tkj cl kgVka ea ;g l fo/kk mi yC/k djkus grq 8-60 djkm+ dk iko/kku fd;k x;k gS bl ds l kFk gh iR;cl xke ,oa cl kgVka ea 'kq) is ty vki frl ds y{; dh 'kri fr'kr i frl gks tk, xhA**

10.1 अल्प वृष्टि क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में नलकूपों का भू-जल स्तर गिरने से उत्पन्न पेयजल समस्या के निराकरण हेतु ****Li kW l kl l ;kstuk**** के अंतर्गत ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित कर नलकूपों में पॉवर पंप स्थापित करने हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

10.2 ग्रामीण क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता समस्या निवारण हेतु 11.15 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

10.3 **nqj jktukn xk, ,oa fcykl ij uxjka dh f}rh; pj.k dh ty ink; ifj;kstuk rFkk d'gkjh [k'kx<} tkey] ljk; ikyh [k'k' ,oa uokx<+ ds v/kjs uy ty ink; ;kstuk dks iwkl djus grq 10-45 djkm+dk ctV iko/kku fd;k x;k gS**

efgyk , oacky fodkl

11. पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को गरम पका हुआ अन्न देने की योजना हेतु इस बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

11.1 in\$ k ea 1 g tkj v kxuckMh Hkou fuekZk grq bl ctV ea 22-50 dj kM+ dk i ko/kku fd; k x; k gS

11.2 fo/kokj i fjR; Drk , oa cd gjk efgyk vka dks Lojst xkj mi yC/k dj kus grq vuq for tutkfr ckgq; ftyk chtki g] narokMk] txnyig , oaukj; .ki g ea ik; kfxd rkj ij **'kfDr Lo: ik ;kstuk** i kjEHk dh tk, xh।

11.3 विक्षिप्त, वृद्ध एवं असहाय महिलाओं के पुनर्वास हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं तथा गैर सरकारी संगठनों को अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

I ekt dY; k.k

12. "इनक्लुसिव ग्रोथ" के मूल मंत्र के क्रम में प्रदेश के सेरेब्रल पालसी एवं आर्टीज्म से प्रभावित निःशक्त व्यक्तियों की पहचान तथा उनके उपचार एवं पुनर्वास हेतु 4.50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

12.1 निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रचलित योजना में अनुदान का प्रावधान नहीं है। mudh __.k vnk; xh dh I eL; k ds funku grq mlga __.k jkf'k ds 25 ifr'kr rd vuqku fn; k tk, xkj ftI ds fy; s 15 yk[k dk ctV i ko/kku fd; k x; k gS

12.2 अनुसूचित जनजाति बाहुल्य नवीन जिला **ukjk; .ki g ,oa chtki g ea**
ckf) d eark okys ckyd&ckfydkvka rFkk nf"V ,oa Jo.k ckf/kr
cPpk ds fy; s fo'k'k fo|ky; dh LFkki uk gsrq 30 yk[k dk ctV
iko/kku fd;k x;k gS

12.3 किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत रायपुर में किशोर गृह की स्थापना हेतु
 13 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

df"k

13. अध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न की उपलब्धता की कमी से बढ़ती हुई मंहगाई को
 देखते हुये कृषि क्षेत्र में उत्पादकता तथा उत्पादन में त्वरित वृद्धि आवश्यक है।
 माननीय सदस्यों को यह जानकर संतुष्टि होगी कि दसवीं पंचवर्षीय योजना
 अवधि में प्रदेश की **l dy ?kjsyw vki ru df"k mRiknu of) nj jk"Vh;**
vki r dh rhu xqph jghA bl ctV ea df"k rFkk df"k l cakh {ks= ds
fy; s dy 542-16 djkm+ dk ctV iko/kku fd;k x;k g\$ tks fd o"K
2007&08 dh rgyuk ea 26 ifr'kr vf/kd gS

13.1 वर्ष 2007-08 के बजट में कृषि क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकतायें
 जैसे - उन्नत बीज, कृषि यंत्र तथा सुनिश्चित सिंचाई की कई नई योजनायें
 शामिल की गई थीं, जिनका उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुआ है। मैं सदन को
 बताना चाहूँगा कि "आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन अनुदान योजना" के
 अंतर्गत 2007-08 में विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन में लगभग 54 प्रतिशत की
 वृद्धि हुई है। कृषि यंत्रों हेतु अनुदान योजना से शक्तिचलित कृषि यंत्रों के
 वितरण में 135 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इन दोनों योजनाओं हेतु वर्ष 2008-09 के
 बजट में 8.10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।

13.2 फसलों की उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 2008-09 में रायपुर जिले के पोखरा में "हाईब्रीड बीज उत्पादन सह प्रशिक्षण केन्द्र" की स्थापना की जाएगी।

13.3 दूध उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 2007-08 में 6 करोड़ रुपये की लागत से रायपुर जिले के पोखरा में "हाईब्रीड बीज उत्पादन सह प्रशिक्षण केन्द्र" की स्थापना की जाएगी। 2008-09 में 11 करोड़ रुपये की लागत से रायपुर जिले के पोखरा में "हाईब्रीड बीज उत्पादन सह प्रशिक्षण केन्द्र" की स्थापना की जाएगी। शाकम्बरी योजनांतर्गत वर्ष 2008-09 में नदी-नालों के समीप जहाँ कम गहराई में पानी उपलब्ध है, 5 हजार शेलो ट्यूबवेल का खनन किया जाएगा।

13.4 हमारी सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति परिवारों को अब तक लगभग 74 हजार बैल जोड़ी का निःशुल्क वितरण किया जा चुका है। 2008-09 में 4 करोड़ रुपये की लागत से रायपुर जिले के पोखरा में "हाईब्रीड बीज उत्पादन सह प्रशिक्षण केन्द्र" की स्थापना की जाएगी। इस बजट में गौवंश एवं बैल जोड़ी वितरण हेतु 46 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

13.5 प्रदेश के गौवंश की औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता लगभग 900 ग्राम प्रतिदिन है, जो कि राष्ट्रीय औसत का लगभग एक चौथाई है। इसमें गुणात्मक वृद्धि हेतु नस्ल सुधार का एक व्यापक कार्यक्रम लागू किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 2008-09 में 5 करोड़ रुपये की लागत से रायपुर जिले के पोखरा में "हाईब्रीड बीज उत्पादन सह प्रशिक्षण केन्द्र" की स्थापना की जाएगी। 2008-09 में 11 करोड़ रुपये की लागत से रायपुर जिले के पोखरा में "हाईब्रीड बीज उत्पादन सह प्रशिक्षण केन्द्र" की स्थापना की जाएगी।

13.6 पशु चिकित्सा एवं प्रजनन सुविधा के विस्तार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 26 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना के लिये भी आवश्यक बजट प्रावधान किया गया है।

l gdfjrk

14. किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2007-08 में हमारी सरकार द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को दिये जाने वाले कृषि ऋण पर प्रचलित ब्याज दर को घटाकर सम्पूर्ण भारत वर्ष की न्यूनतम दर 6 प्रतिशत किया गया था। **bl ds QyLo: i o"l 2006&07 dh rgyuk ea o"l 2007&08 ea fdl kuka dks 25 i fr'kr vf/kd df"k __.k forfjr gq/k gS** इस योजना के लिये राज्य शासन की ओर से अनुदान बाबत बजट में 16 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

14.1 सहकारिता के क्षेत्र में प्रचलित त्रिस्तरीय साख संरचना के सुदृढीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा ****cSj ukFku l fefr**** की अनुशंसायें लागू की गई हैं, जिससे कृषि साख संरचना के आर्थिक ढांचा के सुदृढीकरण हेतु सहकारी समितियों को केन्द्र तथा राज्य शासन से आगामी 3 वर्षों में 715.14 करोड़ का अनुदान प्राप्त होगा एवं इस हेतु बजट में 75 करोड़ का अनुदान बाबत प्रावधान किया गया है। समिति की अनुशंसायें पूर्णतः लागू होने से सहकारिता से जुड़े लगभग 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे।

14.2 **vfc dki j ,oa ckykn 'kDdj dkj [kkuk ds fuekZk grq ctV ea 19-84 djkm+dk i ko/kku fd;k x;k gS**

fl pkbz

15. राज्य निर्माण के पश्चात् अब तक हमने सिंचाई क्षमता में 7 प्रतिशत वृद्धि करते हुये 39 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता प्राप्त किया है। **o"l 2008&09 ds ctV ea viwZ ;kstuvka dks iwZ djus rFkk uohu**

; kst ukvka ds fy; s 974 djkm+ dk ctV iko/kku fd; k x; k g\$ जिसमें नवीन मद के रूप में 149 लघु सिंचाई योजनायें, 72 एनीकट, हसदेव बांगो परियोजना का बांया तट, पैरी योजना का दांया तट, मनियारी जलाशय के मुख्य नहर की लाईनिंग कार्य शामिल हैं। इन नवीन सिंचाई योजनाओं के पूर्ण होने से लगभग 1.70 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित होगी।

15.1 इसके अतिरिक्त गत वर्ष प्रारम्भ की गई dsyks ogn ifj; kst uk rFkk ?kpfj; k] l v[kk ukyk , oa djkl ukyk cjk t e/; e ifj; kst ukvka grq bl ctV ea 85-40 djkm+ dk ctV iko/kku fd; k x; k g\$

ou

16. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश का लगभग 44 प्रतिशत भाग वन आच्छादित है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू होने के पश्चात् इन जंगलों में रहने वाले मूल निवासियों को अपनी जमीन के अधिकारों से वंचित होना पड़ा। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रदेश के वन क्षेत्र में सदियों से निवासरत ouokfl ; ka dks Hkfe dk Lokfero inku djus grq vko' ; d l o[k.k rFkk iVvk forj.k ds fy; s bl ctV ea 10-30 djkm+ dk iko/kku fd; k x; k g\$ bl l s in\$ k ds yxHkx 25 yk[k vuq fpr tutkfr , oa vl; ijEijkxr ouokl h ykHkkfUor gk\$ s।

16.1 ouka ds l j{ k.k , oa l o/kku ds fy; s bl ctV ea 570 djkm+ dk iko/kku g\$ tksfd xr o" k ds iko/kku l s 22 ifr'kr vf/kd g\$। इसमें बिगड़े बांस वनों के संवर्धन हेतु 20 करोड़ तथा बिगड़े वनों के सुधार हेतु 43 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

16.2 प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में जंगली हाथियों से होने वाली जान-माल एवं फसलों की क्षति को रोकने के उद्देश्य से हाथी रहवासी क्षेत्र में विकास के लिये 2 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

16.3 लघु वनोपजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त लाख प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हेतु 2.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

17. अधीन, योजना

17. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा विगत 4 वर्षों में प्रदेश की सड़क निर्माण हेतु 3,196 करोड़ का पूंजीनिवेश किया गया है। **कृषि, जल संधारण, वन, परिवहन, उद्योग, शक्ति, आवास, पंचायत राज, समाज कल्याण, प्रशिक्षण, अल्पसंख्यक, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, श्रम, विद्युत, प्रशासनिक, आदि** इस बजट में भी अधोसंरचना विकास को समुचित प्राथमिकता दी गई है एवं 406 सड़क, 188 पुल तथा 3 रेलवे अंडर ब्रिज के नवीन कार्य शामिल किये गये हैं, जिनमें रायपुर-बिलासपुर राजमार्ग का उन्नयन प्रमुख है। इसके साथ-साथ अपूर्ण सड़कों को पूर्ण करने के लिये कुल 1,388.29 करोड़ का प्रावधान है। भवन निर्माण हेतु 380 करोड़ तथा अनुरक्षण मद् को मिलाकर **कुल 2,186 करोड़**

17.1 प्रचलित व्यवस्था अंतर्गत प्रदेश के सभी नवनिर्मित पुल जिनकी लागत 30 लाख से अधिक है, में पथकर वसूली की जा रही है। इससे ग्रामीण अंचलों में आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सदन को यह बताते हुये मुझे प्रसन्नता है कि इस व्यवस्था में संशोधन कर ऐसे पुल जिन पर प्रतिवर्ष 5 लाख तक पथकर की वसूली होती है, उन्हें इस व्यवस्था से मुक्त किया जाएगा।

xkeh.k fodkl

18. राज्य के 3 जिलों रायपुर, दुर्ग एवं जांजगीर-चांपा में भारत सरकार की "पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि" योजना लागू नहीं है। **bu ftyka ea**ed[; ea-h xke mRd"KZ ;kstuk** ds vrxr xkeh.k v/kkl jpkuk fodkl I adkh fuekZk dk;Z grq 30 djkl+ dk iko/kku fd;k x;k gS**

18.1 इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ ग्रामीण निर्माण योजना के लिये 38 करोड़, ग्राम विकास योजना के लिये 18.50 करोड़ तथा हमारा छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ गौरव योजना के लिये 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

18.2 पंचायत कर्मियों के सशक्तीकरण के अंतर्गत उन्हें कम्प्यूटर एवं लेखा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिये बजट में 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

18.3 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बेहतर कनेक्टिविटी हेतु 25 मीटर से अधिक लंबाई के पुलों के निर्माण हेतु 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त इस योजनांतर्गत पूर्व में निर्मित सड़कों के रख-रखाव हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

uxjh; fodkl

19. **xkeh.k fodkl dh rtZ ij inSk ds uxjh; fudk;ka ea v/kkl jpkuk fodkl I adkh dk;Z grq uohu ;kstuk ykxw dh tk,xh] ftI dsfy;s ctV iko/kku fd;k x;k gS**

19.1 नगरीय विकास के अंतर्गत विशिष्ट परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन की ओर से नगरीय निकायों को आर्थिक सहायता के रूप में 50 करोड़ का प्रावधान है।

19.2 जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन योजना तथा इससे संबंधित अन्य योजनाओं हेतु 361.35 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

m | kx , oa xkex| kx

20. प्रदेश में औद्योगिक विकास की बढ़ती हुई मांग को देखते हुये **jk; ig]** **fcykl ig] jk; x<+ , oa jktuknxkø ftys ea 4 uohu ogn vkS| kfxd** **{k= ds v/kk jpkuk fodkl gsrq bl ctV ea 35 djkm+ dk iko/kku** **fd; k x; k gS|** इसके अतिरिक्त रायपुर में जेम्स-ज्वेलरी तथा अपेरल पार्क, धमतरी में हर्बल पार्क तथा राजनांदगांव में फूड पार्क की स्थापना हेतु 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

20.1 ग्रामीण अंचलों में स्वरोजगार उपलब्ध कराने में ग्रामोद्योग का महत्वपूर्ण योगदान है तथा हमारे प्रदेश में हस्तशिल्प के विकास एवं विस्तार की अपार संभावनायें हैं। इसलिये हमारे द्वारा बुनकरों तथा हस्तशिल्पियों के समग्र विकास हेतु एकीकृत हाथकरघा विकास योजना, चाक प्रदाय योजना, फ्यूजन स्कूल ऑफ आर्ट आदि योजनायें संचालित की जा रही हैं। ग्रामोद्योग के विस्तार एवं विकास हेतु वर्ष 2008-09 के बजट में 41.83 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

Åtkz

21. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत राज्यांश के रूप में 26 करोड़ तथा कृषि पंपों के ऊर्जाकरण हेतु राज्य शासन की ओर से अनुदान मद में 10 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

21.1 ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य शासन की ओर से अनुदान के मद में 11.62 करोड़ तथा ऊर्जा के अपरम्परागत साधन से ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण हेतु 15.20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

1 dfr , oa i ; Mu

22. अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के शीतकालीन सत्र में छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा देने हेतु संकल्प पारित किया गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने हेतु **bl ctV ea **NRrhl x<h jktHkk"kk vk; ksx** xBu ds fy;s1 djKM+dk ctV iko/kku fd;k x;k gSi**

22.1 प्रदेश के जगदलपुर, अंबिकापुर, जांजगीर—चांपा एवं बिलासपुर में नवीन संग्रहालय भवन के निर्माण हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

22.2 स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों के अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु रायपुर में "विवेकानंद विश्व प्रबुद्ध संस्थान" की स्थापना की जाएगी।

22.3 प्रदेश में **u9 fxb i ; Mu dh vikj l Hkkoukvka dks /; ku ea j [krs gq s jk"Vh; m|ku rFkk oU; ik.kh vH; kj.; ea u9 fxb i ; Mu ds fy;s vko'; d v/kkl j puk ds fodkl grq1 djKM+dk iko/kku fd;k x;k gSi**

[ksy , oa ; pd dY; k.k

23. प्रदेश में हॉकी खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जशपुर तथा रायपुर के कोटा स्टेडियम में एस्ट्रोर्टफ निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस बजट में रायपुर स्थित सुभाष स्टेडियम में एस्ट्रोर्टफ निर्माण हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सारंगढ़, बसना एवं निमधा में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।

jktLo

24. राजस्व प्रशासन में पटवारी अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इस व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु वर्ष 2006 में प्रदेश में कुल 1300 नवीन पटवारी हलका निर्मित करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें से अब तक 650 के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है एवं **o"lZ 2008&09 ea 'kšk 650 iVokjh gydkadh LFkiuk grq 6-06 djkM+ dk ctV iko/kku fd;k x;k gš** इसके अतिरिक्त जगदलपुर एवं राजनांदगांव में नवीन पटवारी प्रशिक्षण शाला की स्थापना की जाएगी। किसानों को कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख प्रदान करने की योजना के अंतर्गत अभी तक प्रदेश के 1,578 पटवारियों को कम्प्यूटर उपकरण प्रदान किये जा चुके हैं। इस बजट में शेष 950 पटवारियों को कम्प्यूटर प्रदान करने हेतु प्रावधान किया गया है। इसके साथ-साथ प्रदेश के पटवारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

24.1 अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के सभी **47 yk[k Hkfe&Lokfe; ka dks Hk&vfHkyš[k [kl jk] ch&1 rFkk uD'ks dh ifrfyfi ; k fu%kYd inku djus dk fu.kZ fy;k x;k gš ftl ds fy; s 2-70 djkM+ dk ctV iko/kku fd;k x;k gš**

24.2 राज्य के 10 नगरों क्रमशः रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, धमतरी, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा एवं जगदलपुर में नजूल भूमि के सर्वेक्षण हेतु बजट प्रावधान किया गया है।

iqyl izkkl u

25. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में नक्सल समस्या से निपटने तथा कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा पुलिस बल में वृद्धि तथा उनके आधुनिकीकरण के लिये लगातार प्रयास किया गया है। विगत 4 वर्षों में

पुलिस कर्मियों तथा होम गार्ड के बल में लगभग 20 हजार की वृद्धि की गई है, जिसमें 4 नवीन बटालियन एवं नक्सल आतंकवाद से निपटने के लिये स्पेशल टॉस्क फोर्स का एक बटालियन शामिल है। **I nu dh tkudkj ds fy; se** ;g crkuk pkgpk fd bl ctV ea i fyI izkkl u grq 589 djkm+ dk iko/kku fd;k x;k g; tks fd 2003&04 ds 290 djkm+ dh rgyuk ea 103 ifr'kr vf/kd gS

25.1 पुलिस बल के आधुनिक प्रशिक्षण हेतु चंद्रखुरी, कांकेर एवं सरगुजा में पुलिस अकादमी तथा प्रशिक्षण शालायें स्थापित की गई हैं। इसी कड़ी में होम गार्ड के प्रशिक्षण हेतु रायपुर में केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा, जिसके लिये 51.25 लाख का बजट प्रावधान है।

25.2 मुंगेली तथा खैरागढ़ में उपजेल निर्माण किया जाएगा। **o"z 2007&08 ea jk; ij dsh; tsy ea fofM; ks dk'rl x izkkyh ykxwdh xbZ FkhA bl ctV ea uDI y iHkfor {ks-ka ds dsh; tsy v'cdki j rFkk txnyij ea ;g 0; oLFkk ykxwdh tk, xh।**

U; k; izkkl u

26. न्याय प्रशासन को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रदेश में 25 नवीन सिविल न्यायालय स्थापित किये जायेंगे, जिसके लिये 2.81 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

tMj ctV

27. **v/; {k egkn; } I nu dks ;g tkudkj nrs gq s eqs g"z gS fd igyh ckj tMj ctV iFkd lsiZrq fd;k tk jgk gS।** इसके अंतर्गत शतप्रतिशत महिला विशिष्ट कार्यक्रम तथा कम से कम 30 प्रतिशत महिला

विशिष्ट कार्यक्रम के लिये बजट आवंटन दर्शाया गया है। **14** हमारा प्रयास होगा कि भविष्य में सभी विभागों के लिये यह लागू किया जाये।

o"K 2007&08 dk i qjhf{kr vuøku

28. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2007-08 के पुनरीक्षित अनुमान के आंकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा।

28.1 वर्ष 2007-08 में कुल व्यय 15,509.66 करोड़ अनुमानित था, जो कि पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर 16,686.59 करोड़ संभावित है। यह वृद्धि मुख्यतः "मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना" हेतु 554 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान के कारण है।

28.2 राजस्व प्राप्ति का बजट अनुमान 13,466.97 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 14,386.52 करोड़ है। राजस्व प्राप्ति में यह वृद्धि मुख्यतः केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा तथा विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवंटन प्राप्ति के कारण है।

28.3 o"K 2007&08 ds ctV ea vuøkfur jktLo vkf/kD; 1]801-35 djKM+ dh rgyuk ea i qjhf{kr vuøku 1]788-90 djKM+ gS। इस कमी का मुख्य कारण राज्य के स्वयं के राजस्व प्राप्ति में अपेक्षित वृद्धि नहीं होना है। बजट में सकल वित्तीय घाटा का अनुमान 1,566.85 करोड़ था, जो पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर 1,765.99 करोड़ अनुमानित है। पुनरीक्षित अनुमान में सकल वित्तीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का 3.01 प्रतिशत है, जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप है।

o"K 2008&09 dk ctV vuøku

29. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2008—09 के लिये बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ :—

29.1 वर्ष 2008—09 के लिये अनुमानित कुल व्यय 18,285.80 करोड़ है, जिसमें आयोजना व्यय 10,154.51 करोड़ तथा आयोजनेत्तर व्यय 8,131.29 करोड़ है।

o"K 2007&08 ds iøjhf{kr vuøku dh røuk ea dgy 0; ; 1]599-21 djkm+vFkk~yxHkx 10 ifr'kr vf/kd gS

29.2 पूंजीगत व्यय राज्य के विकास का सूचक है। वर्ष 2007—08 के पुनरीक्षित अनुमान 3,531.62 करोड़ की तुलना में इस बजट में 3,903.46 करोड़ अर्थात् 10 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की गयी है। **itHxr 0; ; l dy ?kjyq mRikn dk 6-1 ifr'kr rFk dgy 0; ; dk 21 ifr'kr vuøfur gS**

29.3 गत वर्षों में हमारा प्रयास रहा है कि राज्य में विकास की गति तीव्र हो। इस हेतु बजट में आयोजना व्यय के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध करायी गई है, जो कि वर्ष 2007—08 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार **vk;ktuk 0; ;] dgy 0; ; dk 56 ifr'kr vuøfur fd;k x;k gS tks fd o"K 2007&08 dh røuk ea 4 ifr'kr vf/kd gS ea 4 l nu dks ;g tkudkjH nrs gq s g"K gS fd vk;ktuk 0; ; dk ;g ifr'kr vc rd dk l okf/kd gS**

29.4 आयोजनेत्तर राजस्व व्यय को नियंत्रित किया गया है। वर्ष 2007—08 के पुनरीक्षित अनुमान 7,975.13 करोड़ की तुलना में वर्ष 2008—09 में यह 8,113.89 करोड़ अनुमानित है। इसमें वेतन भत्ते हेतु 2,974.81 करोड़, पेंशन हेतु 836.73 करोड़, ब्याज भुगतान हेतु 1,153.82 करोड़, विभिन्न योजनाओं हेतु आर्थिक

सहायता के रूप में 180 करोड़ तथा विभिन्न संस्थाओं को अनुदान हेतु 1,191.28 करोड़ शामिल है। ब्याज भुगतान तथा कुल राजस्व प्राप्तियों के अनुपात को गत वर्ष के 9 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत पर सीमित किया गया है।

29.5 **jkT; vk; kstuk 0; ; ea o"l 2007&08 ds i qjhf{kr vuøku 7}658-35 djkm+ dh rgyuk ea 20 ifr'kr dh of) dh tkdj 9}230-59 djkm+ vuøfur dh xbl g\$** जिसमें केन्द्रीय सहायता 1,877.34 करोड़ तथा शेष 7,298.84 करोड़ राज्य संसाधन से उपलब्ध करवाया जावेगा। राज्य आयोजना के पोषण में स्वयं के संसाधन में वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 2008-09 में 40 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। **v/; {k egkn;] l nu dks ; g tkudj i l érk gløxh fd Hkjr h; fj toz cbl ds v | ru ifronu vuø kj ctV ea fodkl kbeq[kh dk; kã ij gkus okys 0; ; ds eki nM ea NRrhl x<+ dks fcgkj , oa >kj [kM ds l kfk l oJ\$B Js kh dk ntkz fn; k x; k g\$**

29.6 राज्य आयोजना में सामान्य क्षेत्र के लिये 53 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिये 35 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिये 12 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

29.7 बजट में राज्य के आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र के विकास का भी पर्याप्त ध्यान रखा गया है। **o"l 2008&09 grq l keftd {ks= ea dy 0; ; dk 43 ifr'kr dk iko/kku fd; k x; k g\$** जिसमें मुख्यतः खाद्यान्न सुरक्षा हेतु 4 प्रतिशत, शिक्षा हेतु 12 प्रतिशत, स्वास्थ्य हेतु 4 प्रतिशत, अनुसूचित जाति/जनजाति विकास हेतु 7 प्रतिशत, महिला एवं बाल विकास हेतु 2 प्रतिशत तथा पेयजल हेतु 3 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।

29.8 **वर्ष 2008-09 के लिए 100 करोड़ रुपये के बजट में 41 प्रतिशत इसमें मुख्य रूप से कृषि तथा कृषि से संबंधित क्षेत्र हेतु 4 प्रतिशत, लोक निर्माण के कार्यों हेतु 12 प्रतिशत, सिंचाई हेतु 5 प्रतिशत तथा ग्रामीण विकास हेतु 7 प्रतिशत शामिल है।**

29.9 **वर्ष 2008-09 के लिए राजस्व का 15]656-16 का अनुमान 9 प्रतिशत राज्य का कर राजस्व, सकल घरेलु उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत है। राज्य के स्वयं के राजस्व में पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में लगभग 13 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की गयी है, जिसमें कर राजस्व में 12 प्रतिशत तथा करेत्तर राजस्व में 13 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। केन्द्र सरकार से प्राप्तियां पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 337 करोड़ अधिक अनुमानित की गयी है।**

राजस्व; फल

30. अध्यक्ष महोदय, राज्य के स्वयं के राजस्व में गत वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई है। माननीय सदस्यगण को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इन्हीं प्रयासों के कारण गत दो वर्षों के समान इस बजट में भी 1,777.54 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित किया गया है।

30.1 राज्य का सकल वित्तीय घाटा 1,911.67 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो कि सकल घरेलु उत्पाद का 3 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुये अत्यंत हर्ष हो रहा है कि **राज्य का सकल घरेलु उत्पाद का 3 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुये अत्यंत हर्ष हो रहा है कि**

30.2 वर्ष 2008-09 हेतु कुल प्राप्तियाँ 18,231.39 करोड़ तथा कुल व्यय 18,285.80 करोड़ अनुमानित किया गया है। इन वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप 54.41 करोड़ का शुद्ध घाटा अनुमानित है। **o"l 2007&08 ds l lkkfor ?kVk 765-84 djM+ ds 'kfev djrs gq s o"l 2008&09 dk dgy ctVh; ?kVk 820-25 djM+ vuqfur gS** इस घाटे की पूर्ति वित्तीय अनुशासन तथा अतिरिक्त आय के संसाधन जुटाकर की जावेगी।

Hkkx&2

31. अध्यक्ष महोदय, राजस्व वृद्धि के लिये विगत वर्षों में हमारी रणनीति कर की दरों में युक्तियुक्तकरण करना, कर प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाना एवं कर प्रशासन को चुस्त बनाना रही है, जिसके सार्थक परिणाम प्राप्त हुये हैं। इस रणनीति से न केवल राजस्व में वृद्धि हुई है, वरन् करदाताओं में स्वप्रेरणा से कर अदायगी की प्रवृत्ति बढ़ी है तथा प्रदेश के वाणिज्य एवं व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है।

31.1 हमारी यही रणनीति आगे भी जारी रहेगी। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि विगत वर्षों की तरह इस बजट में भी हम कोई नया कर प्रस्तावित नहीं कर रहे हैं और न ही कर की दर में बढ़ोतरी प्रस्तावित है।

ofRr dj

32. अध्यक्ष महोदय, वेतनभोगियों को वृत्ति कर दायित्व से पूर्णतः मुक्त करने का हमारा संकल्प रहा है। इसी अनुक्रम में वेतनभोगियों के लिये विगत 4 वर्षों में वृत्ति कर दायित्व से छूट की सीमा 1 लाख वार्षिक वेतन से बढ़ाकर 3.50 लाख तक की गई थी। I nu dks ;g tkudj i| érk gkxh fd bl ctV ea oruHkksx; ka dks ofRr dj nkf; Ro l s iwkZ% eDr fd; k tk; xkA इससे लगभग 7.50 करोड़ की राजस्व हानि होगी, लेकिन लगभग 30 हजार वेतनभोगी लाभान्वित होंगे।

o/v

33. आम उपभोक्ताओं को राहत पहुँचाने तथा स्थानीय महत्व की वस्तुओं पर कर से रियायत देने के लिये हमारा प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

- मेंहदी को करमुक्त किया जायेगा।
- खोपरा चूरा पर प्रचलित कर की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की जायेगी।
- 150 रुपये मूल्य तक के प्लास्टिक एवं रबर से बने जूते एवं चप्पल को करमुक्त किया जायेगा।
- टीन की पेटी एवं कोठी को करमुक्त किया जायेगा।
- स्थानीय फर्शी पत्थर को करमुक्त किया जायेगा।
- सड़क दुर्घटना से आम नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट को करमुक्त किया जायेगा।

33.1 अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण का संरक्षण हमारे लिये बहुत बड़ी चुनौती है। इसे बढ़ावा देने के लिये "बैटरी चलित वाहन" पर कर की दर 12.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की जायेगी।

33.2 हमारे द्वारा विगत वर्षों में स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने एवं उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के लिये अनेक रियायतें दी गई हैं, इसी अनुक्रम में इस बजट में निम्नानुसार रियायतें प्रस्तावित करता हूँ :-

- रेल्वे ट्रैक फिटिंग सामग्री तथा वैनैडियम स्लज को इंडस्ट्रीयल इनपुट की सूची में शामिल करते हुये इस पर प्रचलित कर की दर 12.5 प्रतिशत को घटाकर 4 प्रतिशत किया जाएगा।
- सोयाबीन पर क्रय कर समाप्त किया जायेगा।

33.3 अध्यक्ष महोदय, मैं कर प्रक्रिया में निम्नानुसार सरलीकरण प्रस्तावित करता हूँ :-

- छोटे व्यवसायियों को राहत पहुँचाने तथा उनमें कर प्रक्रिया के अनुपालन की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिये 40 लाख वार्षिक टर्नओवर से कम वाले व्यवसायियों के लिये प्रचलित त्रैमासिक विवरण पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था के स्थान पर वार्षिक विवरण पत्र प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था लागू की जायेगी।
- अधिक जमा वेट की वापसी 2 वर्ष पश्चात् करने के वर्तमान प्रावधान के स्थान पर वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरांत व्यवसायी द्वारा कर निर्धारण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, कर निर्धारण एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाकर अधिक जमा कर की वापसी की जायेगी।

- प्रचलित त्रैमासिक विवरण पत्र, वार्षिक विवरणी एवं ऑडिट रिपोर्ट की जटिलताओं को दूर कर इनके स्थान पर नये सरलीकृत फार्म लागू किये जायेंगे।
- छोटे व्यापारियों द्वारा कम्पोजिशन सुविधा प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की वर्तमान समय सीमा 30 दिन से बढ़ाकर 3 माह की जायेगी।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ठेकेदारों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार के अनुक्रम में किये गये वर्क्स कान्ट्रैक्ट पर स्रोत पर कर की कटौती के प्रावधान को समाप्त किया जायेगा।
- पूर्व में प्रचलित वाणिज्यिक कर अधिनियम में व्यवसायियों को आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध शासन के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध था, जो वेट अधिनियम में उपलब्ध नहीं है। इसके फलस्वरूप व्यापारियों को सीधे उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी पड़ती है। अतः वेट अधिनियम में भी राज्य शासन के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान लाया जाएगा।

iath; u

34. महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से महिलाओं के पक्ष में अचल संपत्ति का पंजीयन कराए जाने की स्थिति में देय मुद्रांक शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

vkcdkjh

35. वर्तमान में 25 हजार तक की जनसंख्या वाले नगरों में स्थित सिनेमाघर मनोरंजन कर के दायरे से मुक्त है। अब यह छूट 1 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों के लिये लागू होगी।

35.1 पुराने सिनेमाघरों के आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रोत्साहन योजना नहीं है, जिसके कारण कई सिनेमाघर बंद होने की कगार पर है। अतः पुराने सिनेमाघरों के जीर्णोद्धार एवं उनके आधुनिकीकरण हेतु एक प्रोत्साहन योजना लागू की जाएगी, जिसके अंतर्गत सिनेमाघरों के आधुनिकीकरण में किये जाने वाले व्यय के आधार पर मनोरंजन कर से छूट दी जायेगी।

35.2 छत्तीसगढ़ तम्बाकू अधिनियम, 1939 को निरसित किया जाएगा, जिससे लगभग 60 हजार लघु व्यवसायी सुचारू रूप से व्यापार कर सकेंगे।

36. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की मूलभूत अवधारणा "इनक्लुसिव ग्रोथ" के प्रति हमारी सरकार हर संभव प्रयास करने के लिये कृत संकल्प है। छत्तीसगढ़ का समग्र विकास हम सबका साझा दायित्व है। प्रतिपक्ष में बैठे मित्रों की केन्द्र में सरकार है। उनसे मेरा आग्रह है कि केन्द्र सरकार पर अपने प्रभाव का उपयोग करते हुये वे छत्तीसगढ़ के न्यायोचित अपेक्षाओं को पूरा कराने में अपना योगदान दें। इस अपेक्षा के साथ मैं वर्ष 2008-09 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगे सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।